International Journal of Information Movement Vol.I Issue III (July 2016)
Website: ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 97-102

बालिका शिक्षा का महत्त्व एवं अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा

श्वेता सिंह
शोधार्थी, पीएच.डी. (एजूकेशन),
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

1.0 शिक्षा का महत्त्व :

शिक्षा मानव की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो उसके बौद्धिक विकास, समाज के, गाँव के, जिले के, प्रदेश के और देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सहायक होती है शायद इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अद्‌भत निवेश है।

लॉक का मत है–''पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है।'' बालक जन्म के समय असहाय एवं अबोध होता है। अरस्तु के अनुसार– ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना करना असम्भव है।''

आज देश में लोकतंत्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित स्त्रियों की है मनुष्य की जन्म जाति शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्यपूर्ण विकास में सहयोग देती है। उसकी वैयक्तिता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, उसे नागरिकता के कर्त्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज देश और विश्व के लिये हितकर होता है। समाज व देश के विकास का उत्तरदायित्व परिवार पर आता है, वर्तमान में यह दायित्व विद्यालयों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के कन्धों पर आ गया है लेकिन परिवार का महत्त्व कम नहीं हुआ परिवार शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु है। परिवार मं माता का स्थान सर्वोपरि हैं, शिक्षित माता के अभाव में परिवार की शिक्षा एक दिवास्वप्न के समान होगी। अतः स्त्री (माता) शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो जाती है माता ही ऐसे बालक के निर्माण में सक्षम होती हैं जो समाज और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के समर्थ होते हैं अर्थात् शिक्षित नारी समूह (माताएँ) ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं।

यदि समाज में प्रत्येक पुरुष की शिक्षा को स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक स्त्री की शिक्षा के महत्त्व को भी व्यावहारिक रूप में स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार वर्तमान प्रजातन्त्र में वर्ग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार लिंग भेद के आधार पर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समाज में किसी स्त्री को पुरुष के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिए पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग भी अत्याधिक आवश्यक है स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिए तथा घर एवं समाज में अपने उत्तरदायित्व के निभाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है।

2.0 बालिका शिक्षा का महत्त्व :

प्रत्येक समाज में स्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित बालिका के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में बालक एवं बालिका दोनों को समान रूप से शिक्षा देते हैं किन्तु नेहरू जी ने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्त्व इसलिए दिया है कि जिस तरह की माँ होती है, उसी तरह के संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। पुरुष अपने परिवार के जीवनयापन के लिए घर से प्रायः बाहर रहते हैं। तथा स्त्रियों का समय घर ही बच्चों की देख–रेख में व्यतीत होता है। जिससे माँ का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। वैसे भी वर्तमान समय में बालिका (स्त्री) के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व अधिक हो गये हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार अधिकांशतः नहीं है। अकेले उसे परिवार के समस्त सदस्यों की देखरेख करनी पड़ती है, घर की उचित देख–रेख तभी कर सकती है, जब वह शिक्षित होगी, शिक्षित होने पर वह परिवार के समस्त लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझकर उनका निवारण कर सकेगी।

महात्मा गाँधी ने बालिका शिक्षा को बालक की शिक्षा से किन्हीं भी अर्थों में हेय दृष्टि से नहीं देखा, स्त्री के त्याग के बिना पुरुष के सुख पाने का सपना कमी पूरा नहीं हो सकता। बालिका (स्त्री) त्याग की साक्षात् मूर्ति हैं कोई बालिका (स्त्री) जब किसी कार्य में जी जान से लग जाती है। तो पहाड़ को भी हिला देती है। स्त्री शिक्षा पर गाँधी जी ने कहा था ''बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्त्री शिक्षा को गंभीरता से न लिया जाये।''

स्वामी विवेकानन्द ने बालिका शिक्षा को महत्त्व देते हुए कहा है कि ''एक पंख से पक्षी कभी नहीं उड़ सकता है। उसे लड़ने के लिए दोनों पंख आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था केवल पुरुष शिक्षा से ही नहीं चल सकती है। दोनों (बालक–बालिका) को शिक्षित होना आवश्यक है। 'देवि माँ सहचरि प्राण'– भारतीय परम्परा में नारी के इतने रूप बताएं हैं। कविवर पन्त ने। पर क्या पुरुष ने नारी के इन रूपों का सम्मान करके उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की है?

स्वामी विवेकानन्द ने इसी उत्तर के रूप में नारियों के लिए कहा है कि, ''नारियों को सदैव असहायता और दूसरों पर दासता निर्भरता की शिक्षा दी गयी है। यह शिक्षा देकर ही पुरुष युगों–युगों से नारी पर शासन करता आ रहा है। उसने सहस्त्रों वर्षों से नारी को सरस्वती की वन्दना से विमुख रखा है और उसे ज्ञान के आलोक से बाहर घसीट कर अज्ञानता से आवृत्त रखने में ही अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझी है। तभी से नारी विवशता की जंजीर में जकड़ी हुई अपनी शिक्षा की बाट जोह रही है। आज इस जंजीर की कड़ियां चटख–चटख कर टूट रही है। नारी घर की चार दीवारी के अन्दर घुट–घुटकर जिन्दगी के दिन काटने वाली गुड़िया नहीं है। आज वह शिक्षित महिला के रूप में बाह्य जगत में प्रवेश कर रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से होड़ ले रही है।

स्त्री शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए स्वतन्त्र भारत के प्रधान प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। ''एक बालक को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है। जबकि एक बालिका को शिक्षित करना सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है।''

जय शंकर प्रसाद जैसे सर्वोच्च कवि की लेखनी ने बालिका (स्त्री) शिक्षा को श्रद्धा का प्रतीक माना है।

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग बल में।
पीयूष श्रोत ही बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में।''

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। ''स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की अवनति व उन्नति निर्भर है।''

शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने स्त्री (बालिका)–शिक्षा के महत्त्व को बताते हुए कहा है। ''हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिणामों की उन्नति और बाल्य काल में अत्याधिक सरलता से प्रभावित होने वाले वर्षों में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्त्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है।'' आयोग ने यह भी कहा है कि ''अगर दोनों बालक–बालिका (स्त्री–पुरुष) में किसी एक को शिक्षित करना हो तो स्त्री को शिक्षित किया जाना चाहिए।''

विश्वविद्यालय आयोग ने बालिका (स्त्री शिक्षा) के महत्त्व को इस प्रकार बतलाया है। शिक्षित स्त्रियों के अभाव में शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को निश्चित रूप से अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

स्त्रियों ने स्वतन्त्रता के पश्चात् सामाजिक राजनीतिक, चिकित्सा, व्यवसाय, शिक्षा देश की सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है। इनमें डॉ. नजमा हेपतुल्ला (राज्यसभा–उपसभापति) कु॰ जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, उमाभारती, किरण बेदी, संतोष यादव और मदर टेरेसा के नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में नारी अनेक रूपों को ग्रहण किये हुए है। इस काल में नारियों को जहाँ एक तरफ भोग विकास की वस्तु, सन्तानोत्पत्ति का साधन, पूंजी–पतियों, जमींदारों का अपनी झोली भरने का निमित्त तथा विज्ञापन, फिल्मों आदि के द्वारा जनता जनार्दन के मनोरंन के साधन में आर्य (धन) के लिए मजबूरन नंगे रूप में प्रदर्शित की जाती है। वहीं दूसरी ओर प्राचीनकाल की महिलाओं ने विविधि क्षेत्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। इनमें मुख्यतः झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनीविसेन्ट, कमला नेहरू, कस्तूरबा गाँधी तथा इन्दिरा गाँधी जैसी विदुषियों ने युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार और आर्थिक नियोजन में भारी योगदान दिया है। आज भी भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। अतः आधुनिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान विकास की सुविधाएँ और अवसर देकर प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का शिक्षण देना चाहिए। वह कुशल इंजीनियर शिक्षक चिकित्सक प्रचारक एवं अधिवक्ता बनकर राष्ट्र की समृद्धि में भारी योगदान दे सकती हैं स्त्री शिक्षा का इतना महत्त्व होते हुए भी वह आज बहुत पिछड़ी हुई है और उसके लिए विशेष प्रयास करने को कहा जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्त्री शिक्षा के महत्त्व पर विशेष महत्त्व देते हुए कहा गया है कि ''लड़कियों को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण नहीं है, कि उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके, बल्कि इस कारण महत्त्वपूर्ण है कि लड़कियाँ समाज में बदलाव की गति प्रदान करती है।

3.0 अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा :

आधुनिक भारत के इतिहास में मोहनदास कर्मचन्द गाँधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि ''भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए वर्ग भेद की नीति समाप्त करनी होगी।'' जिन्होंने सभी लीकों से हटकर महिलाओं एवं दलितों जिन्हें वह हरिजन कहा करते थे के उत्थान के लिए समझौता हीन संघर्ष का श्री गणेशाय किया और अपने अभियान को चरम स्थिति तक पहुँचाया। परिवर्ती काल में भी एक व्यक्ति के रूप में कोई इन प्रयासों में उनके मुकाबले नहीं ठहरता। वस्तुतः गाँधी जी ने अपने जीवन का एक कण हरिजन उत्थान आन्दोलन को समर्पित कर दिया था इसकी लगन उनके दिल में अचानक ही पैदा नहीं हुई,

बल्कि बचपन से ही उनमें स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के बीच रूप में पनप चुका था। अनुसूचित जातियों (अस्पृश्य) की बड़ी दयनीय अवस्था इनकी अनेक नियोग्यताएँ थी यह किसी को छू नहीं सकते, समीप नहीं आ सकते, सवर्णो की बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते तथा अच्छे मकान नहीं बना सकते थे गाँवों में अस्पृश्यता प्रायः भूमिहीन श्रमिक है। इसलिए जमींदार इनसे बेगार लेते हैं तथा इनकी लाचारी का दुरुपयोग करते हैं।

उच्च जाति के व्यक्तियों के आने पर उनका कत्रव्य है कि खड़े होकर उनका स्वागत करना, सार्वजनिक जीवन में सड़कों पर चलना, कुंओं पर पानी भरना, विद्यालय में पढ़ना, छात्रावासों में रहना आदि सभी स्थानों पर उनके लिए प्रतिबन्ध था। इस पर गाँधी जी बचपन से लेकर इस संसार से विदा लेते समय तक बहुत व्यथित रहे। एक आदमी अपने जैसे ही दूसरे को छूने से इन्कार कर दें पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, ऐसा उनका दृढ़ विचार था।

मानवीय मूल्यों के प्रति अगाध श्रद्धा और संवेदनशील सामाजिक चेतना होने के कारण महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया, उन्होंने जबानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही संकल्प ले लिया था कि वह इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध जहाँ भी रहेंगे जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। गाँधी जी ने महिलाओं के लिये भारतीय शास्त्रों में इस्तेमाल किये गये विशेषणों अर्द्धांगनीय, सह धर्मिणी पर बहुत जोर देते थे, दलितों के प्रति सामाजिक चेतना को एक सिरे बदलने के लिये गाँधी ने उन्हें हरिजन की संज्ञा दी थी हरिजन अर्थात् ईश्वर के निकटस्थ व्यक्ति।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से कोड़ी है। आर्थिक दृष्टि से वह गुलामों से भी बेहतर है। धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों पर जिन्हें हम भ्रम से भगवान का घर कहते हैं, में प्रवेश निसिद्ध था इन्हें प्रारम्भ से ही शूद्र कहा जाता था इसे दूर करने के लिए गाँधी 1933 में वर्धा आश्रम से एक ऐसे अभियान पर निकले तो जो हरिजनों की पीड़ा को दूर करने और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने को ही समर्पित था वह यात्रा अभियान उनके महान यज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना बन गया ऊँच–नीच जैसी विकृतियों से समाज को मुक्त करने का उद्देश्य उन्हें उतना ही प्रिय था जितना भारतीय स्वतन्त्रता और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करना।

गाँधी जी ने हरिजनों के बीच बैठने, उनसे मिलने जुलने उन्हें सम्बोधित करने और उनमें चेतना जगाने का भी कार्य किया। वह हरिजनों के घेरों में ठहरे उनके ही चौकों में बैठकर भोजन किया और उन्हें सार्वभौम प्रेम का संदेश दिया, इसी के साथ गाँधी जी ने समाज के दूसरे वर्गों को, जो जाति के मिथ्या अहंकार से ग्रसित थे, समझाने–बुझाने, पत्थन दिलों को पिघलाने का भी प्रयास किया। गाँधी जी ने उन लोगों के साथ ही मगजपची की, जो आँखें होते हुए मानवीय समानता की तरफ अन्धे थे और जिनके हृदय संवेदनाओं से रीते थे। लकिन जब वह कहते थे कि समाज के दूसरे वर्गों ने हरिजनों के साथ शताब्दियों तक अमानवीय व्यवहार करके जो पाप कमाया, अब उन्हें उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए तो उन पर पत्थर फैंके गये, उन्हें अश्लील गालियाँ दी गयी।

समाज के रूढ़िवादी दकियानूसी वर्गों ने पहले तो महात्मा गाँधी के इन प्रयासों की सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया बल्कि उन्होंने यह देखा कि गाँधी जी सचमुच इस अभियान में बहुत गंभीर है तो उनके आश्चर्य एवं उलझन की कोई सीमा नहीं रही बहुत शीघ्र यह उलझन गाँधी जी के प्रति नफरत में बदल गयी और गाँधी जी के विरोध में जन आन्दोलन शुरू हो गये, अनेक स्थानों पर उन्हें काले झंडे

दिखाकर 'गाँधी वापिस जाओ' के नारे लगाये गये। एक बार नहीं सैंकड़ों बार महात्मा गाँधी को हरिजन उत्थान एवं छुआछूत निवारण के प्रश्न पर अपमानित किया गया। लेकिन अश्लील से अश्लील विरोध का महात्मा गाँधी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह इस धारणा पर कि कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेने के कारण ही छूने योग्य अथवा न छूने योग्य हो जाता है जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नीचा या ऊँचा समझा जाता है। हंसते हुए अपनी घृणा प्रकट करते थे। महात्मा गाँधी सामान्य लोगों को यह भी समझाया करते थे कि अमानवीय अत्याचार तो होता ही है तथा कथित उच्चवर्ग भी अपना खुद का और राष्ट्र का स्वाभिमान पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। सम्पूर्ण समाज की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अर्थात् जाति प्रथा को चलते रहने से हमारे देश की शिक्षा दुनिया से बहुत पिछड़ जायेगी।

महात्मा गांधी अछूतोद्धार के लिए पैसे का चन्दा भी माँगते थे। विरोध के बावजूद भी अनेका स्थानों पर लड़कियाँ तथा महिलाएँ गाँधी जी के जादू से प्रभावित होकर अपने मूल्यवान आभूषण भी उन्हें दे डालती थी। प्रार्थना सभाओं में गाँधी जी अक्सर हरिजन बच्चों से भजन गाने को कहते थे, उनका विश्वास था कि अगर हरिजनों को छल कपट के बिना, प्रशिक्षण दिया गया तो वह बहुत शीघ्र प्रगति करने की क्षमता दिखा देंगे। ''हजारों साल तक हरिजनों का उत्पीड़न होता रहा फिर भी वह दृढ़ता के साथ हिन्दू धर्म के साथ जुड़े रहे, यह मामूली बात नहीं है इस ओर सभी का ध्यान जाना चाहिए ''अर्थात् यदि हरिजनों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाये खास कर बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये तो हरिजनों पर होने वाले अत्याचार केवल अतीत की घटना मात्र रह जाए तो हमारा देश बहुत ऊपर उठ सकता है। अर्थात् भारतीय समाज के समृद्धिपूर्ण विकास के लिये सभी वर्गों का सहयोग वांछनीय हैं, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जातियों को सम्वर्द्धन और विकास होना नितांत आवश्यक है। इन जातियों का विकास खासकर बालिका (स्त्री) शिक्षा पर निर्भर करता है। अर्थात् महात्मा गाँधी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए पुरुषों के साथ–साथ विशेष रूप से बालिका (स्त्री) शिक्षा को महत्त्व देते हुए अनेक क्रान्तिकारी कदम उठाये, उन्होंने इस जाति विशेष की समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए हरिजन नामक समाचार पत्र का भी श्रीगणेश किया। उस समाचार पत्र में हरिजनों से सम्बन्धित समस्याएँ एवं उनके निराकरण के उपाय भी बताए जाते थे। इस प्रकार महात्मा गाँधी इस वर्ग को अन्य वर्गों के समकक्ष में लाने के लिए एवं स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए जीवन पर्यन्त प्रयास करते रहे।

महात्मा गाँधी ने इन हरिजन सम्बन्धी प्रयासों से अनुप्रभावित होकर जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल और स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी अनुसूचित जाति में खासकर स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील हो गये। सरदार पटेल ने भी एक अवसर पर कहा था कि, ''जब तक प्रत्येक हरिजन हिन्दुस्तान के ऊँचे से ऊँचे आदमियों के साथ बराबरी का दावा या अधिकार नहीं पा लेता तब तक भारत की आजादी अधूरी रह जायेगी।''

गाँधी जी ने जो कार्य अखिल भारतीय पैमाने पर किय, उसी को डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के क्षेत्र में किया। अपने जातीय नेता अम्बेडकर की अध्यक्षता में हरिजनों ने अपने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार तथा जनता के समक्ष रखा और उनको उपलब्ध किया। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हरिजनों में जागरण का सूत्रपात करने का श्रेय महात्मा गाँधी के पश्चात् अम्बेडकर को ही प्राप्त है। इनके विकास के लिए बालिका (स्त्री) शिक्षा अतिआवश्यक है। क्योंकि स्त्री ही भावी देश के नागरिकों

का निर्माण करती हैं तो निर्माण करने वाली वस्तु जैसी होगी जैसे ही हमारे भावी नागरिक होंगे अतः ''एक शिक्षित स्त्री सैंकड़ों शिक्षित पुरुष ही नहीं बल्कि सैंकड़ों शिक्षकों के बराबर कार्य करेगी।''

इसी सन्दर्भ में बालिका (स्त्री) शिक्षा के महत्त्व को व्यक्त करते हुए पेस्टोलॉजी ने कहा है कि–

"एक शिक्षित माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है।"

4.0 सन्दर्भ सूची:

1. E. W. Hutter (1859). *Female Education: Its Importance, the Helps and the Hindrances : Address Delivered Before the Faculty and Students of the Susquehanna Female College, at Selinsgrove, Pa., on Tuesday Evening, November 8th, 1859*. T.N. Kurtz.
2. Gogoi, Sampreety. "Evaluation of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya in Assam with Special Reference to its Management." *Prabandhan: Indian Journal of Management* 8.8 (2015): 18-29.
3. Gupta, Nidhi, and Manju Malhotra. "Women's Access to Education: A Case Study Of Madhya Pradesh." *literacy* 18.27.16 (1951): 8-86.
4. Rahmani, Savihaa. "Balika siksha evam vikas ki yojanao ke prati dalit mahilaon ki sanchetana ka samajshastriya adhyayan (बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं की संचेतना का समाज शास्त्रीय अध्ययन) ".(2014).
5. Srivastava, Nimisha. "Prarambhik istar par rashtriya balika shiksha karyakram ka ek vishlesshnatameka adhyayen." (2016).
6. Yadav, Narendra Kumar Singh. "Anusuchit jati ke sandarbh mein prathamik star par balika shiksha ki sthiti: ek adhyayan (अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति) ".(एक अधययन :2013).
7. आसू दुबेबालिकाओं की प्राथमिक शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में" ., एक अध्ययन". *Global Journal of Multidisciplinary Studies* 3.7 (2014).